उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या- 5/2016/ 96/अड़तीस-9-15-04(बजट)/14

लखनऊ : दिनांक-26 फरवरी, 2016

<u>कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन</u>

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु 'विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि' के अन्तर्गत दिनांक-31.03.2015 तक विधान सभा क्षेत्रवार वास्तविक अवशेष/अप्रयुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये वित्तीय वर्ष 2015-16 में द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक निर्गत शासनादेश संख्या-3/2016/69/अड़तीस-9-16-04(बजट)/2014, दिनांक-18.02.2016 के प्रस्तर-4 की तालिका के कालम-3 के क्रम संख्या-1 में 33,200.00 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश 33,200 अंकित हो गया है। इसी प्रकार कालम-4 में 50,00,000.00 के स्थान पर त्रुटिवश 5,00,000 अंकित हो गया है। अत: शासनादेश दिनांक-18.02.2016 के कालम-3 व 4 में अंकित धनराशि में हुयी टंकण त्रुटि को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1	2	3	4	5 (रूपये में)
क्र0 सं0	**विधान सभा क्षेत्र व संख्या**	**दिनांक-31.03.2015 तक विधान सभा क्षेत्रवार अप्रयुक्त/अवशेष धनराशि**	**द्वितीय किश्त की प्रस्तावित धनराशि रू0 50-50 लाख में से कालम-3 में अंकित धनराशि की ऋणात्मक स्थिति**	**वास्तविक अवशेष/अप्रयुक्त धनराशि को समायोजित करते हुये अवमुक्त की जानी वाली प्रस्तावित धनराशि।**
1	हरैया, 307	33,200.00	5000000.00-33,200.00	49,66,800.00
2	कप्तानगंज, 308	--	5000000.00-0.00	50,00,000.00
3	रूधौली, 309	71,000.00	5000000.00-71,000.00	49,29,000.00
4	बस्ती सदर, 310	---	5000000.00-0.00	50,00,000.00
5	महादेवा, 311	--	5000000.00- 0.00	50,00,000.00
योग-		**104200.00**		**2,48,95,800.00**

2- शासनादेश संख्या-3/2016/69/अड़तीस-9-16-04(बजट)/2014, दिनांक-18.02.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

ओम प्रकाश तिवारी
अनुसचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 5/2016/96 (1) /अड़तीस-9-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती ।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, बस्ती, उ0प्र0।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
13- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।